बिजनौर पुलिस

Date:- 11-06-2022

PRESS NOTE

कोदेहात पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गोकशी/गैग0 अधि0 04 अभियुक्तगण पर 14 (1) गैग0 अधि0 की कार्यवाही करते हुये 80 लाख रूपये की अचल सम्पत्ति कुर्क।

अवगत कराना है कि आज दिनॉक 11.06.2022 को थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत अभि0गण 1– फहीम पुत्र यासीन, 2– मोमीन उर्फ मोवीन पुत्र नफीस, 3–शकील पुत्र नसीम निवासीगण ग्राम सराय डूडम्बर थाना को0देहात जो गौ0 अधि0 के मु0अ0स0 297/19 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 व 11 धारा पशु करता अधि0 व मु0अ0स0 135/2020 धारा 3 (1) गैग0 अधि0 के अपराधी है जिनके द्वारा गैग0 बनाकर अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति 03 मकान कीमत क्रमशः 22 लाख, 21 लाख, 16 लाख रूपये व इसके अतिरिक्त थाना को0देहात के अभियुक्त आसिफ पुत्र शफीक कुरैशी निवासी ग्राम करौंदा पचदू थाना को0देहात जनपद बिजनौर जो गैंग का सदस्य है जिसके विरूद्व थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 183/18 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 व मु0अ0सं0 60/20 धारा 3 (1) गैग0 अधि0 पंजीकृत है। अभिुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति पक्का मकान कीमत करीब 21 लाख रूपये कुल सम्पत्ति (80 लाख रुपये) को 14 (1) गैग0 अधि0 की कार्यवाही करते हुये जिलाधिकारी बिजनौर के आदेश के क्रम उपरोक्त सम्पत्ति का जब्तीकरण की गयी।

अभि0गण का विवरण

1– फहीम पुत्र यासीन निवासी ग्राम सराय डूडम्बर थाना को0देहात जनपद बिजनौर

2– मोमीन उर्फ मोवीन पुत्र नफीस निवासी ग्राम सराय डूडम्बर थाना को0देहात बिजनौर

3– शकील पुत्र नसीम निवासी ग्राम सराय डूडम्बर थाना को0देहात जनपद बिजनौर

4– आसिफ पुत्र शफीक कुरैशी निवासी ग्राम करौंदा पचदू थाना को0देहात जनपद बिजनौर

थाना अफजलगढ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सोमपाल पर 14(1) गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही करते हुए 40 हजार रुपये की मोटरसाईकिल कुर्क

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर निरंतर कार्यवाही की जा रही है तथा गैंगस्टर अधिनियम के अभियुक्तगणों के विरुद्ध कार्यवाही कर उनकी सम्पत्ति के जब्तीकरण हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है । इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी अफजलगढ के निर्देशन में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 111/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में आज दिनांक 11.06.2022 को अभियुक्त सोमपाल पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम फजलपुर मच्छमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर की चल सम्पत्ति मोटरसाईकिल जिसकी कीमत करीब लगभग 40000/- रुपये की कुर्क की गई।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा 14.01.2021 को अपने सगे चाचा वीर सिंह (45 वर्ष) पुत्र मंगल सिंह की अपनी चाची के साथ चल रहे प्रेम प्रंसग में हत्या कर दी थी।

अभियुक्त का नाम व पता

सोमपाल पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम फजलपुर मच्छमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

कुर्क सम्पत्ति का विवरण

एक मो0साईकिल XL -100 डेवी ड्यूटी आई-टच स्टार्ट रंग काला रजिस्टर नम्बर UP20BY-4722

आपराधिक इतिहास सोमपाल उपरोक्त

मु0अ0सं0 19/21 धारा 302/120बी भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

मु0अ0सं0 111/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

थाना हल्दौरः- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा थाने के टॉप-10 अपराधी प्रशांत उर्फ चंडी पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 204/22 धारा 3/25 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

थाना मंडावलीः- थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्त गुलफाम पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी भागूवाला थाना मंडावली जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 95/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

थाना हल्दौरः- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त अमरीक पुत्र तपेश्वर निवासी मोहल्ला खेड़ा कस्बा व थाना हल्दौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना चाँदपुरः- थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- नरेंद्र पुत्र क्षेत्रपाल 2- भीम सिंह पुत्र नत्थू 3- नीतीश कुमार पुत्र परमानंद 4- अर्जुन पुत्र शिव शंकर 5- पवन पुत्र महावीर सिंह 6- पंकज पुत्र महेश 7- दीपक राघव पुत्र मुकेश को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना मंडावलीः- थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्त रामबहादुर पुत्र रामकुमार निवासी कांढपुर थाना मंडावली जिला बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहित पुत्र जयप्रकाश सिंह व अभियुक्त हेमराज पुत्र पीतांबर सिंह निवासी गढ़ ग्राम लंबाखेड़ा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना रेहडः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना मंडावलीः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

112
1098
102

मिशन शक्ति फेज-3
मिशन
1090
181
102
108

महिला थाना चाँदपुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना कोतवाली शहरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।